<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–56/2026
राज्य बनाम अनुपम उर्फ अन्नू आदि

मु०अ०सं०-**201/2025**
धारा-**127(2),64(1),87,**
351(3),316(2)बी.एन.एस.
थाना-**अछल्दा** जिला-औरैया

<u>आरोप</u>

मैं पारूल जैन, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया, आप अभियुक्त **अनुपम उर्फ अन्नू** पर निम्नलिखित आरोप आरोपित करती हूँ-

1. यहकि दिनांक 18.07.2025 को समय 00.00 बजे स्थान वहद ग्राम मोहम्मदाबाद में आप अभियुक्त ने नेहा देवी को उसकी मर्जी के विरूद्ध गलत तरीके से बन्दी बनाकर कमरे में बन्द कर अपराध कारित किया। आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 127(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने नेहा देवी के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार कर गम्भीर अपराध कारित किया। आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 64(1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने नेहा देवी का अपहरण कर उसे इस आशय से अपने साथ ले गये उसके साथ अयुक्त संभोग किया जाए या उसे विवाह करने के लिये विवश किया जाए। आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 87 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने नेहा देवी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 351(3) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
5. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने नेहा देवी को विश्वास में लेकर नौकर लगवाने के आशय से उससे 10 हजार रूपये लेकर आपराधिक विश्वासघात किया। आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 316(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–09.02.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक–09.02.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.02.09 16:40:07 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–56/2026
राज्य बनाम अनुपम उर्फ अन्नू आदि

मु०अ०सं०-**201/2025**
धारा-**87 बी.एन.एस.**
थाना-**अछल्दा** जिला-औरैया

<u>आरोप</u>

मैं पारूल जैन, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया, आप अभियुक्त **रामकुमार** पर निम्नलिखित आरोप आरोपित करती हूँ-

1. यहकि दिनांक 18.07.2025 को समय 00.00 बजे स्थान वहद ग्राम मोहम्मदाबाद में आप अभियुक्त ने नेहा देवी का अपहरण कर उसे इस आशय से अपने साथ ले गये उसके साथ अयुक्त संभोग किया जाए या उसे विवाह करने के लिये विवश किया जाए। आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 87 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–09.02.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक–09.02.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–56/2026
राज्य बनाम अनुपम उर्फ अन्नू आदि

मु०अ०सं०-**201/2025**
धारा-**127(2),64(1),87,**
351(3),316(2)बी.एन.एस.
थाना–**अछल्दा** जिला–औरैया

<u>दिनांक–09.02.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण **अनुपम उर्फ अन्नू** व **रामकुमार** स्वयं उपस्थित तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

उभयपक्षों को आरोप विरचन पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त **अनुपम उर्फ अन्नू** के विरूद्ध धारा 127(2),64(1),87,351(3),316(2)बी.एन.एस. एवं अभियुक्त **रामकुमार** के विरूद्ध धारा 87 बी.एन.एस. का आरोप विरचित किया जाए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन का कोई औचित्य नहीं है। अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार अभियुक्त **अनुपम उर्फ अन्नू**के विरूद्ध धारा127(2),64(1),87,351(3),316(2)बी.एन.एस. एवं अभियुक्त **रामकुमार** के विरूद्ध धारा 87 बी.एन.एस. में आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त **अनुपम उर्फ अन्नू** के विरूद्ध धारा 127(2), 64(1), 87, 351(3), 316(2)बी.एन.एस. एवं अभियुक्त **रामकुमार** के विरूद्ध धारा 87 बी.एन.एस.में आरोप विरचन हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक–09.02.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

पत्रावली लंच बाद पेश हुयी। अभियुक्त **अनुपम उर्फ अन्नू** के विरूद्ध धारा **127(2),64(1),87,351(3),316(2)बी.एन.एस.** एवं अभियुक्त **रामकुमार** के विरूद्ध धारा **87 बी.एन.एस.** में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की। सूची से साक्षीगण तलब हो।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 23.02.2026 को पेश है।

दिनांक–09.02.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।